

जनपद- हाथरस ।

◆ □ प्रेस नोट सं०- 27 ◆ □

◆ दिनांक-09.01.2024 ◆

**!! □ थाना सिकंदराराऊ पुलिस द्वारा थाना सिकंदराराऊ, थाना हाथरस जंक्शन व थाना हसायन क्षेत्रांतर्गत हुई चोरियों की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1600/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 कार बरामद । !! □**

अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2024 को श्री भंवरपाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम उमरावपुर थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस द्वारा थाना सिकंदराराऊ पर सूचना दी कि दिनांक 16.12.2024 को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उसके प्लॉट से बकरी चोरी कर ली है। वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकंदराराऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना प्रभारी सिकंदराराऊ को निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 08.01.2024 को थाना सिकंदराराऊ पुलिस द्वारा उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1600/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 माइक्रा कार नं०- UP80 BV 9990 बरामद हुए है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना सिकंदराराऊ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ मे अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हम लोग मिलकर बकरे /पशु चोरी व टप्पेबाजी का काम करते है। हमने दिनांक 16.12.2024 की रात में ग्राम उमरावपुर मे एक घर से 2 बकरी चोरी की थी तथा चोरी की गई बकरियों को हम लोगों ने फिरोजाबाद पैठ मे बेच दिया था। उन रुपयो को हमने आपस मे बराबर-बराबर बांट लिया था । जो रुपये हमसे बरामद किये है यह उन्ही बकरियों के बेचने से प्राप्त रुपयो मे से बचे हुए है।

इसी क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.12.24 को उनके द्वारा थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र से भेड-बकरी चोरी की थी । जिसके सम्बन्ध मे थाना हाथरस जंक्शन पर मु०अं०स० 433/24 धारा 331(7) बीएनएस पंजीकृत है तथा उनके द्वारा दिनांक 20.01.24 की रात को थाना हसायन क्षेत्र में एक घर मे से जेवरात भी चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध मे थाना हसायन पर मु०अं०सं० 20/24 धारा 380 भा०द०वि० पंजीकृत है । उक्त घटनाओं का भी सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. जान मौहम्मद पुत्र इस्लाम निवासी आकाशवाणी रोड काले बाबू का तकिया थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
2. अरमान पुत्र नासिर निवासी जन्नती मस्जिद के पास मोहल्ला हबीबगंज थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
3. राशिद पुत्र जैनुद्दीन निवा सी काले बाबू की तकिया के पास उर्दुनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस ।
2. 1,600/- रुपये नगद ।
3. 01 माइक्रा कार नं0- UP80 BV 9990 (घटना मे प्रयुक्त) ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त जान मोहम्मद**

1. मु0अं0स0 638/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दराराऊ हाथरस ।
2. मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भा0द0वि0 थाना हसायन जिला हाथरस ।
3. मु0अं0स0 433/24 धारा 331(7) बीएनएस थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरमान**

1. मु0अं0स0 638/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दराराऊ हाथरस ।
2. मु0अ0सं0 005/25 धारा 3/25 A ACT थाना सिकन्दराराऊ हाथरस ।
3. मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भा0द0वि0 थाना हसायन जिला हाथरस ।
4. मु0अं0स0 433/24 धारा 331(7) बीएनएस थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद**

1. मु0अं0स0 638/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दराराऊ हाथरस ।
2. मु0अ0सं0 005/25 धारा 3/25 A ACT थाना सिकन्दराराऊ हाथरस ।
3. मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भा0द0वि0 थाना हसायन जिला हाथरस ।
4. मु0अं0स0 433/24 धारा 331(7) बीएनएस थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस ।

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के नाम-**

प्रभारी निरीक्षक श्री अरविंद राठी मय टीम थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस ।

**MEDIA CELL HATHRAS**